

अपनी अवहेलना से दुःखी धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया

अवहेलना का कारण, शायद मोदी सरकार व उनके बीच बढ़ते गम्भीर मतभेद थे

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 21 जुलाई। यह पहला अवसर है, जब भारत के किसी पदाधिकारी उपराष्ट्रपति न अपने पद से इस्तीफा दिया

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसीपाँ दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही, वे गज्यसभा के सभापति पद से भी स्थान छोड़ गए हैं।

राष्ट्रपति त्रैपांडी मुर्ख को भेजे अपने इस्तीफे में दर्शने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि असली बज़ और और भी स्थान के मानसून सत्र के पहले दिन यह बड़ा और चौथी घटनाक्रम हुआ है, जिसके बाद गज्यसभा की कार्यवाही पर अपर पड़ सकता है।

धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था।

ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि मोदी सरकार के साथ गम्भीर मतभेद के तहत उनसे इस्तीफा देने को कहा गया।

हाल के दिनों में, वे सकारा से खुद को उपेक्षित मानसून सकर रहे थे और उन्हें उचित समान और प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था।

- धनखड़ महसूस कर रहे थे, कि उन्हें वह ओहादा नहीं मिल रहा था, जो उन्हें उपराष्ट्रपति होने के कारण स्वाभाविक तौर पर वैसे ही मिलना चाहिए था। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैन्स भारत यात्रा पर आए थे तो धनखड़ के साथ उनकी मुलाकात आयोजित नहीं की गई थी, और इससे धनखड़ काफी क्षुब्ध थे, काफी आहत महसूस कर रहे थे।
- न्यायाधीश वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर भी समस्या थी। कछ पार्टियों, जिनमें प्रमुख पार्टी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी है, ने हक्कार कर दिया था, महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से, न्यायाधीश वर्मा काफी नज़दीक माने जाते थे, मुलायम सिंह यादव के। कई वरिष्ठ वकील भी न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” के खिलाफ थे।
- सरकार चाहती थी, महाभियोग के मसले पर, विपक्ष (मुख्य रूप से कांग्रेस) के लोकसभा सदस्य भी हस्ताक्षर करते, पर, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का तरक था, उनके सांसद, राज्यसभा में हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- धनखड़ के खिलाफ शिकायत यह भी थी, कि, वे योगी आदित्यनाथ की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, तथा यू.पी. की भी कुछ ज्यादा ही यात्रा कर रहे थे।

उपराष्ट्रपति वैसे से उनकी मानसून सत्र नहीं लेकर भी खिलाफ था। उन्हें कांग्रेस के बीच पार्टी, ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि जस्टिस वर्मा भी एक मुश्तु था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के कारबी माने जाते ने कहा कि आपके पास 100 से ज्यादा सांखद हैं, आप इसे आपेक्षा सकते हैं। कई वरिष्ठ वकील भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का विरोध कर रहे थे।

सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच पार्टी, ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि जस्टिस वर्मा भी एक मुश्तु था। कांग्रेस ने कहा कि आपके पास 100 से ज्यादा सांखद हैं, आप इसे आपेक्षा सकते हैं।

सरकार के बीच लोकसभा में महाभियोग लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि आपके पास 100 से ज्यादा सांखद हैं, आप इसे आपेक्षा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर इंडिया के तीनों टायर फटे, हादसा टला

नई दिल्ली, 21 जुलाई। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया के एआई 2744 फ्लैट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोचिंग से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया।

ये हादसा सुबह 9:27 बजे हुआ। तस्वीरों में दिखा कि विमान के दाहिने को नेसेल

- एआई 2744 विमान मुम्बई में लैंडिंग के दौरान फिसल कर 16-17 मीटर घास पर चला गया।

(द्रवक) को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद विमान को पार्किंग तक लाया गया, जहां सभी यात्री और क्रू मैबर्स को उतारा गया। इस दौरान विमान के तीन टायर फट गए।

एयर इंडिया ने बताया कि हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मैबर को नुकसान नहीं पहुंचा है, हालांकि मुंबई एयरपोर्ट को मैन रनवे पर फ्लाइट हुआ है। रनवे के किनारे बंद कर दी गई है। रनवे के किनारे बंद करने के बाद जारी बाधित और चार लाइंट भी टूट गए।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजु ने रविवार को सर्वदालीय बैठक के बाद पकारों से कहा कि इस प्रस्ताव पर संसद की बिजेस एडवाइजरी कमेटी का अधिकारी, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उन्हें “वर्मा” कह कर सम्बोधित करना, उनका अपमान है।

अधिकारी, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उनका अपमान है।

न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” नोटिस पर सौ लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए

संसद में “इम्पीचमेंट” (महाअभियोग) के प्रस्ताव पर कम से कम सौ लोकसभा सदस्यों व 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदन में प्रस्ताव बहस के लिए पेश होने के लिए

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो -

नई दिल्ली, 21 जुलाई। दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर भारी बारिश में नकदी मिलने के मामले में, संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तेज है। लोकसभा के 100 से अधिक लोकसभा के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जात्ययि है कि जब नकदी मिलने की बटन हुई थी, तब वे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश वर्मा के हस्ताक्षर कर रही हैं।

महाभियोग प्रस्ताव संविधान के तहत किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके लिए प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 100 सांखद हैं। इसके लिए जनराजी सांखद ने जारी कर दिया है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजु ने रविवार को सर्वदालीय बैठक के बाद पकारों से कहा कि इस प्रस्ताव को सदन में कब पेश किया जाएगा, यह

संसद की बिजेस एडवाइजरी कमेटी का अधिकारी, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उनका अपमान है।

यादव के खिलाफ, उनकी कथित

शनिवार को राज्यसभा सदस्य जान ब्रिटास (माकपा) और पी. संतोष (शेष पर)

राज्यसभा के मार्क्सवादी सदस्य जॉन ब्रिटास व साम्यवादी पार्टी के संदोष कुमार ने मुद्दा उठाया, कि, न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, जबकि संसद न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाअभियोग के मामले पर विचार कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश गवर्नर ने, महाधिकारता नेदुमपरा के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की, जब उन्होंने न्यायाधीश वर्मा को वर्मा कहकर सम्बोधित किया। मुख्य न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के सम्मानित जज हैं, उन्हें “वर्मा” कह कर सम्बोधित करना, उनका अपमान है।

अधिकारी, नेदुमपरा का तर्क था, कि न्यायाधीश वर्मा हाईकोर्ट के साम्प्रदायिक विषयों के कारण लाए ब्रिटास (माकपा) और पी. संतोष (शेष पर)

मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने लोकसभा नहीं चलने दी

हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, फिर चार बजे पूरे दिन के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई।

विपक्ष, ऑपरेशन सिंदूर और पहलनाम सहमते पर चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार की ओर से चर्चा के आश्वासन के बाद भी विपक्षी नेता नाराजगी करते रहे।

दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसद काला स्कार्फ बांध कर आए थे।

दूसरे दिन भी संसद में भारी हंगामा होने की संभवना है विपक्ष की विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेशी दौरे पर नाराजगी जता रहा है, विपक्ष का कहना है प्र. मोदी को सदन में होना चाहिए।

किसी बहस से भाग नहीं रही है, लेकिन दौरान ही हो गई, जिससे स्पीकर ओम फिर भी विपक्ष के सदस्य नाराजगी करते रहे।